



महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

परिनिर्गम

इस व्यवस्था को पूर्व-अदायगी के बिना
इस द्वाारा धरे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. यो. - 19.



पञ्जी. क्र. ग्वालियर विद्यालय
एम. यो. - 19.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 1997 - वैशाख 19, शके 1919

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं



महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

अधिनियम (1995 का क्रमांक 37)

परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम

अधिनियम-1995 (क्रमांक 37) की धारा 25

विश्वविद्यालय के परिनियम

- | | | |
|-------------------|---|--|
| परिनियम क्रमांक 1 | : | कुलाधिपति के निबंधन एवं शर्तें |
| परिनियम क्रमांक 2 | : | कुलपति के निबंधन एवं सेवा की शर्तें |
| परिनियम क्रमांक 3 | : | कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य |
| परिनियम क्रमांक 4 | : | प्रति कुलपति के निबंधन, सेवा की शर्तें, शक्तियां एवं कर्तव्य |

- परिनियम क्रमांक 5 : कुलसचिव के निबंधन, सेवा की शर्तें, शक्तियां एवं कर्तव्य
- परिनियम क्रमांक 6 : वित्त अधिकारी के निबंधन, सेवा की शर्तें, शक्तियां एवं कर्तव्य
- परिनियम क्रमांक 7 : प्राध्ययन केन्द्र (स्कूल) के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति
- परिनियम क्रमांक 8 : विभागाध्यक्षों की नियुक्ति
- परिनियम क्रमांक 9 : कुलानुशासक - छात्रपाल की नियुक्ति
- परिनियम क्रमांक 10 : ग्रंथपाल की नियुक्ति
- परिनियम क्रमांक 11 : प्रबंधन बोर्ड का गठन, शक्तियां, कार्य एवं गणपूर्ति
- परिनियम क्रमांक 12 : विद्या-परिषद् का गठन, शक्तियां, कार्य एवं गणपूर्ति
- परिनियम क्रमांक 13 : योजना बोर्ड का गठन, शक्तियां एवं कार्य
- परिनियम क्रमांक 14 : प्राध्ययन केन्द्रों एवं विभागों के (बोर्डों के) अध्ययन मंडलों का गठन
- परिनियम क्रमांक 15 : अध्ययन मंडलों (बोर्डों) के कार्य
- परिनियम क्रमांक 16 : वित्त समिति का गठन, शक्तियां एवं कार्य
- परिनियम क्रमांक 17 : विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं में, प्राचार्य, आचार्य, प्रवाचक, व्याख्याता, एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, ग्रंथपाल के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित समिति की शक्तियां एवं कार्य
- परिनियम क्रमांक 18 : अध्यापन पदों पर नियत पदावधि के लिए नियुक्ति की विशेष रीति
- परिनियम क्रमांक 19 : समिति का गठन

- परिनियम क्रमांक 20 : सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा अध्यापकों के आचरण की रीति
- परिनियम क्रमांक 21 : अन्य कर्मचारियों के सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा आचरण की रीति
- परिनियम क्रमांक 22 : वरिष्ठता सूची तैयार करना एवं संधारित करना
- परिनियम क्रमांक 23 : विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करना
- परिनियम क्रमांक 24 : मानद उपाधि
- परिनियम क्रमांक 25 : उपाधि / उपाधि पत्र, प्रमाण पत्र का प्रत्याहरण
- परिनियम क्रमांक 26 : विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन पालन / परिपालन
- परिनियम क्रमांक 27 : दीक्षांत समारोह
- परिनियम क्रमांक 28 : किसी प्राधिकरण अथवा समिति के अध्यक्ष की, बैठकों से अनुपस्थिति
- परिनियम क्रमांक 29 : प्राधिकरण अथवा समिति के सदस्य का त्यागपत्र
- परिनियम क्रमांक 30 : प्राधिकरण के सदस्य होने में अनर्हता
- परिनियम क्रमांक 31 : अन्य निकायों का सदस्य होने के आधार पर प्राधिकरण की सदस्यता
- परिनियम क्रमांक 32 : विद्यार्थी परिषद्
- परिनियम क्रमांक 33 : परिनियम एवं अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएं
- परिनियम क्रमांक 34 : विनियम
- परिनियम क्रमांक 35 : शक्तियों का प्रत्यायोजन
- परिनियम क्रमांक 36 : विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी सेवा की शर्तें, शक्तियां एवं कर्तव्य
- परिनियम क्रमांक 37 : अध्येतनवृत्ति, (फेलोशिप) छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक एवं पुरस्कार संस्थित करना ।

परिनियम क्रमांक - 1

कुलाधिपति के निबंधन एवं शर्तें

(अधिनियम की धारा 9 देखें)

1. इस संस्था के संस्थापक एवं संप्रवर्तक परम पूज्य महर्षि महेश योगी, प्रथम कुलाधिपति होंगे तथा अपने जीवनकाल पर्यन्त पदधारण करेंगे।
2. अपने पदधारण के आधार पर कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रमुख तथा विश्वविद्यालय के सभी कार्यों के समग्र रूप से प्रभारी होंगे।
3. प्रथम कुलाधिपति के पश्चात प्रबंधन बोर्ड, वैदिक शिक्षा के सर्वोपरि एवं ख्याति प्राप्त विद्वानों में से, कुलाधिपति की नियुक्ति करेगी, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा जिन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता होगी।
4. कुलाधिपति, यदि वे उपस्थित हों तो, उपाधि प्रदान करने हेतु, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की एवं यदि वे उचित समझे तो अन्य सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा ऐसी शक्तियां, जैसी कि आवश्यक हों प्रत्यायोजित करेंगे।

परिनियम क्रमांक - 2

कुलपति के निबंधन एवं शर्तें

(अधिनियम की धारा 10(1) देखें)

1. कुलाधिपति द्वारा कम से कम तीन व्यक्तियों की उस तालिका में से, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी जिसकी अनुशंसा खण्ड(2) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा होगी। परन्तु कुलाधिपति यदि उक्त तालिका में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का अनुमोदन नहीं करते हैं तो वे तीन व्यक्तियों (जिनकी अनुशंसा पहले की जा चुकी है से भिन्न) की नई तालिका, समिति से मंगवा सकते हैं तथा तालिका पर विचार करने के पश्चात किसी व्यक्ति को जिसे वे योग्य समझे कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।
2. खण्ड (1) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, जिनमें से एक व्यक्ति, प्रबंधन बोर्ड द्वारा मनोनीत होगा, जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होगा अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य भी नहीं होगा अथवा विश्वविद्यालय से संबंध किसी संस्था से संबंधित नहीं होगा तथा एक व्यक्ति कुलाधिपति द्वारा मनोनीत होगा, एवं एक व्यक्ति महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठ का न्यासी अथवा मनोनीत सदस्य होगा। कुलाधिपति तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे।
3. कुलपति, पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा पैंसठ वर्ष की आयु के होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे परन्तु कुलाधिपति, कुलपति को उनकी अवधि समाप्त होने पर, ऐसे समय तक के लिए जब तक उनके उत्तरावर्ती पदधारण नहीं करते, किन्तु दो वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं, पद पर बने रहने के लिए निर्देशित कर सकते हैं।

4. यदि कुलाधिपति, कुलपति की पदावधि में किसी समय ऐसा समझते हैं एवं वे संतुष्ट हैं कि पद धारण करने वाला व्यक्ति, अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम अथवा विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा उसे सौंपे गए कार्य को निष्पादित नहीं कर पा रहा है अथवा नहीं कर रहा है और / अथवा उस प्रकार के व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है तो वे उस, पदावधि के समाप्त होने के पूर्व भी, उसे कुलपति का पद रिक्त करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं।
5. कुलपति, विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे।
6. कुलपति की परिलब्धियां एवं अन्य सेवा की शर्तें निम्नानुसार होगी :
 - (1) कुलपति को गृह का भाड़ा भत्ता छोड़कर मासिक वेतन एवं भत्ते, कुलाधिपति के अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किए जाएंगे उसके अतिरिक्त उन्हें उनके पदधारण की पूर्ण पदावधि तक किराया मुक्त सज्जित आवास की पात्रता होगी तथा ऐसे आवास के संधारण में किसी प्रकार (बिजली और पानी के प्रकार सहित) का भार कुलपति पर नहीं होगा।
 - (2) कुलपति को ऐसे नियत कालिक लाभ एवं भत्तों की, जो कुलाधिपति के अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित होंगे, पात्रता होगी।
परंतु जहां विश्वविद्यालय का अथवा उसके द्वारा संधारित महाविद्यालय का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी भी भविष्य निधि, जिसका वह सदस्य हो अंशदान निरन्तर रखने की अनुमति दी जाए तथा ऐसे व्यक्ति के उस भविष्य निधि खाने में, विश्वविद्यालय उसी दर से अंशदान देगा जिस दर से वह कुलपति नियुक्त होने के ठीक पहले, उसे दिया करता था।
यह भी कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन (सेवानिवृत्ति) योजना का सदस्य हो तो विश्वविद्यालय उस योजना में आगे भी आवश्यक अंशदान देगा।
 - (3) कुलपति को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए बीस दिवस के अर्ध वैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। यह अर्धवैतनिक अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर, पूर्ण वैतनिक में परिवर्तित किया जा सकता है। जब परिवर्तित अवकाश का लाभ लिया जाएगा तब अर्धवैतनिक अवकाश के विरुद्ध दुगुना अर्धवैतनिक अवकाश का लाभ लिया जाना, इस अवकाश अभिलेख में अंकित होगा।
7. यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य प्रकार से रिक्त हो जाता है अथवा यदि वे दुःस्वास्थ्य, अथवा अन्य कारण से अपने कार्य निष्पादित करने में असमर्थ हो जाते हैं तो प्रतिकुलपति अथवा प्रतिकुलपतियों में से एक, कुलपति का कार्य निष्पादित करेंगे तथा यदि कोई प्रति कुलपति उपलब्ध नहीं हो तो वरिष्ठतम आचार्य, तब तक, कुलपति का कार्य निष्पादित करेंगे, जब तक कि नए कुलपति पदभार ग्रहण नहीं करते अथवा जब तक वर्तमान कुलपति अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होते, जैसा भी प्रसंग हो। ऐसी व्यवस्था एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रहेगी।

परिनियम क्रमांक - 3

कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. कुलपति प्रबंधन बोर्ड, विद्या-परिषद, योजना बोर्ड एवं वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे ।
2. कुलाधिपति, सामान्यतः दीक्षांत समारोहों एवं उत्सवों की अध्यक्षता करते हैं किन्तु कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलाधिपति के इन कार्यों का निष्पादन कुलपति करेंगे ।
3. कुलपति को किसी प्राधिकरण की किसी बैठक में अथवा विश्वविद्यालय की किसी अन्य संस्था की बैठक में उपस्थित रहने की एवं संबोधित करने की पात्रता रहेगी, किन्तु वहां उन्हें मतदान करने की जब तक कि वे ऐसे प्राधिकरण अथवा संस्था के सदस्य नहीं हों, पात्रता नहीं होगी ।
4. कुलपति का यह देखना, कर्तव्य होगा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों का विधिवत एवं निष्ठापूर्वक पालन होता है तथा उन्हें इस हेतु आवश्यक शक्ति होंगी ।
5. कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण रखेंगे तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावशील करेंगे ।
6. विश्वविद्यालय में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति को आवश्यक सभी शक्तियां होंगी तथा ऐसी कोई शक्तियां ऐसे अधिकारियों को जैसा वे उचित समझे प्रत्यायोजित करेंगे ।
7. कुलपति को प्रबंधन बोर्ड, विद्या-परिषद, योजना बोर्ड एवं वित्त समिति की बैठक बुलाने की अथवा बैठक बुलाना प्रस्तावित करने की शक्तियां होंगी तथा वे ऐसे सभी कार्य निष्पादित करेंगे जो अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के प्रावधानों के पालन अथवा अप्रसर करने में आवश्यक हों ।

परिनियम क्रमांक - 4

प्रति कुलपति के निबंधन, सेवा की शर्तें, शक्तियां एवं कर्तव्य (अधिनियम की धारा 11 देखें)

1. कुलपति की अनुशंसा पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा एक अथवा अधिक प्रति कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी ।
परन्तु जहां कुलपति की अनुशंसा, प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, प्रकरण कुलाधिपति को प्रेषित किया जाएगा, जिस पर या तो कुलपति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को कुलाधिपति नियुक्त करेंगे अथवा कुलपति से, प्रबंधन बोर्ड को नियुक्ति हेतु अन्य व्यक्ति की अनुशंसा करने को कहेंगे ।

- परन्तु आगे यह भी कि कुलपति की अनुशंसा पर प्रबंधन बोर्ड (मण्डल), एक आचार्य को अपने कार्यों के अतिरिक्त, प्रतिकूलपति के कार्यों के निर्वहन हेतु, नियुक्त कर सकेगा।
2. प्रतिकूलपति के पद की अवधि इस प्रकार होगी, जैसा प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा, किन्तु किसी भी अवस्था में, पांच वर्ष से अधिक की अवधि नहीं होगी अथवा, प्रतिकूलपति के पद की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, होगी।
परन्तु प्रति कुलपति, जिनके पद की अवधि समाप्त हो गई हो, पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। परन्तु आगे यह भी कि, किसी भी अवस्था में प्रति कुलपति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होंगे।
परन्तु यह भी कि परिनियम 2 के खण्ड (7) के अंतर्गत प्रति कुलपति, कुलपति के पद का कार्य निर्वहन करते हुए, प्रति कुलपति के रूप में उनके पद की अवधि समाप्त होते हुए भी, जब तक नए कुलपति अथवा वर्तमान कुलपति, पद ग्रहण नहीं करते, यथा प्रसंग, पदधारण करेंगे।
परन्तु यह भी कि जब कुलपति का पद रिक्त हो जाता है तथा कुलपति के कार्य का निर्वहन करने के लिए कोई प्रतिकूलपति नहीं होते हैं, और प्रबंधन बोर्ड द्वारा किसी प्रतिकूलपति को नियुक्त किया जाता है तो ऐसा नियुक्त प्रतिकूलपति तब तक पद पर रहेंगे जब तक नए कुलपति नियुक्त नहीं किए जाते एवं वे पद धारण नहीं कर लेते।
 3. प्रतिकूलपति की परिलब्धियाँ एवं निबंधन तथा सेवा की शर्तें, कुलपति के अनुमोदन से समय-समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 4. ऐसे विषयों में, जो कुलपति द्वारा समय समय पर अपनी ओर से विशेष रूप से निर्देशित किए जाएंगे, प्रतिकूलपति, कुलपति की सहायता करेंगे, एवं ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें प्रत्यायोजित की जाएंगी एवं ऐसे कर्त्तव्यों का निष्पादन करेंगे जो उन्हें सौंपे जाएंगे।

परिनियम क्रमांक - 5

कुलसचिव के निबंधन, सेवा की शर्तें, शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य

(अधिनियम की धारा 13 देखें)

1. प्रबंधन बोर्ड द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी एवं वे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे।
परन्तु अधिनियम (1995 का क्रमांक 37) की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी एवं वे पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे।
2. कुलसचिव के पद पर नियुक्त पदधारी का वेतनमान वही होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आचार्य के पद के लिए निर्धारित होगा। मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुसार पात्र भत्ते दिए जाएंगे।
3. कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।
परन्तु कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनके पदानुवर्ती नियुक्त नहीं होते एवं पद धारण नहीं करते।
कुलसचिव की (सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात) पांच वर्ष की पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

4. जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा कुलसचिव अस्वस्थता, अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कार्य निष्पादित करने में असमर्थ हों तब कुलसचिव पद के कार्य, ऐसे व्यक्ति, जिसे कुलपति उस उद्देश्य से नियुक्त करें, द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
5. (अ) शिक्षक एवं शैक्षणिक कर्मचारीवृंद को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों जैसा कि प्रबंधन बोर्ड के आदेश में विशेष निर्देशित हो, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के, तथा जाँच पर्यन्त निलम्बित करने के, उनको चेतावनी देने के, अथवा उनको परिनिंदा की शांति देने के अथवा वेतन वृद्धि रोकने के अधिकार, कुलसचिव को होंगे।
परन्तु जब तक संबंधित व्यक्ति के संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के लिए कारण बताने के लिए यथोचित अवसर न दिया गया हो, ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
- (ब) उपखण्ड (अ) में निर्दिष्ट किसी शांति के लिये कुलसचिव के किसी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को की जा सकेगी।
- (स) परन्तु जहाँ जाँच पूर्ण होने पर यदि ऐसा प्रकट होता है कि कुलसचिव के अधिकार से परे, शांति आवश्यक है तो कुलसचिव, कुलपति को एक प्रतिवेदन अपनी अनुशांसा के साथ भेजेगे।
परन्तु कुलपति के शांति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबंधन बोर्ड को, की जा सकेगी।
6. कुलसचिव, प्रबंधन बोर्ड, विद्या-परिषद एवं योजना बोर्ड के पदेन सचिव होंगे किन्तु वे इनमें से किसी भी प्राधिकरण के सदस्य नहीं माने जाएंगे। कुलसचिव वित्त समिति के सदस्य होंगे।
7. कुलसचिव के ये कर्तव्य होंगे :
 - (क) अभिलेखों, सामान्य मुहर एवं विश्वविद्यालय की अन्य ऐसी सम्पत्ति जिसके प्रति प्रबंधन बोर्ड (मण्डल) उन्हें वचनबद्ध करेगा, के अभिरक्षक होना ;
 - (ख) प्रबंधन बोर्ड (मण्डल), विद्या-परिषद, योजना मण्डल एवं इन संस्थाओं द्वारा नियुक्त अन्य समितियों की बैठकें संयोजित करने की सभी सूचनाएं जारी करना ;
 - (ग) प्रबंधन बोर्ड (मण्डल), विद्या-परिषद, योजना मण्डल एवं इन संस्थाओं द्वारा नियुक्त अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को रखना ;
 - (घ) प्रबंधन बोर्ड (मण्डल), विद्या-परिषद, योजना मण्डल एवं वित्त समिति के कार्यालयीन पत्राचार का संचालन करना ;

- (ड.) अध्यादेशों द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था करना एवं उनका संचालन करना ;
- (च) विश्वविद्यालय की संस्थाओं की बैठकों को कार्य सूची विषयक जारी होते ही, उनकी प्रतियां एवं ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त कुलाधिपति को प्रदाय करना ;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों अथवा कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधि अधिकार पत्र, शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करना, एवं वाद-प्रतिवाद का सत्यापन करना अथवा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना : एवं ;
- (ज) समय-समय पर , प्रबंधन बोर्ड (मण्डल) अथवा कुलपति द्वारा जैसाकि चाहा गया हो ऐसे कर्तव्यों का तथा, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों में विशेष निर्देशित कर्तव्यों का पालन करना ।

परिनियम क्रमांक - 6

वित्त अधिकारी के निबंधन, सेवा की शर्तें, शक्तियाँ एवं कर्तव्य

1. वित्त अधिकारी की नियुक्ति, चयन के उद्देश्य से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबंधन मण्डल द्वारा की जाएगी । वे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे ।
2. वे पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होंगे तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।
3. वित्त अधिकारी की उपलब्धियाँ, अन्य निबंधन एवं सेवा की शर्तें, प्रबंधन मण्डल द्वारा निर्धारित की जाएंगी ।
परंतु वित्त अधिकारी पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे ।
परंतु आगे यह भी कि वित्त अधिकारी पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर भी लें तो भी, जब तक उनके पदानुवर्ती नियुक्त नहीं होते एवं पद ग्रहण नहीं करते अथवा एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे ।
4. जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी दुःस्वास्थ्य / अस्वस्थता, अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कार्य निष्पादन करने में असमर्थ हों, तो वित्ताधिकारी के पद के कार्य ऐसे व्यक्ति, जिसे कुलपति उस उद्देश्य से नियुक्त करें, द्वारा निष्पादित किए जाएंगे ।
5. वित्त अधिकारी वित्त समिति के पदेन सचिव होंगे किन्तु ऐसी समिति के सदस्य नहीं माने जाएंगे ।

6. वित्ताधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि :-

- (क) विश्वविद्यालय की निधि पर व्यापक पर्यवेक्षण करेंगे एवं उसकी वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देंगे एवं ;
- (ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य निष्पादित करेंगे जो प्रबंधन बोर्ड (मण्डल) द्वारा उन्हें सौंपे जाएंगे अथवा जो परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा विहित होंगे ;

7. प्रबंधन मण्डल के नियंत्रण के अधीन वित्त अधिकारी :

- (क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं निवेशित धन न्यास एवं स्थायी निधि को धारण करेंगे एवं उसकी व्यवस्था करेंगे ।
- (ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रबंधन मण्डल द्वारा वर्ष के लिये निर्धारित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय निर्धारित व्यय की सीमा से आगे बढ़े नहीं एवं सभी राशियां उसी प्रयोजन पर व्यय हों जिसके लिए वे अनुदत्त एवं आवंटित हैं ।
- (ग) प्रबंधन मण्डल को प्रस्तुत किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी होंगे ।

(घ) नगद एवं बैंक के शेषों एवं नियोजनों की स्थिति पर सतत निगरानी रखेंगे ।

(ङ.) लेखा पुस्तकों एवं विश्वविद्यालय में संरक्षित अन्य पंजियों के संधारण के लिए उत्तरदायी होंगे;

(च) विश्वविद्यालय के आंतरिक एवं वैधानिक अंशों के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(छ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर निगरानी रखेंगे एवं संग्रहण की विधि लागू करने पर सलाह देंगे ।

(ज) यह सुनिश्चित करेंगे कि भवन, भूमि, उपस्कर एवं उपकरण की पंजियां अद्यतन संधारित की जाती है एवं विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कार्यालयों विशेष केन्द्रों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के उपकरणों एवं उपभोग्य सामग्रियों के भण्डारों की वार्षिक जांच की जाती है ।

(झ) अनाधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनियमितताएं कुलपति के ध्यान में लाएंगे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का सुझाव देंगे, एवं

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा संस्था से कोई जानकारी अथवा विवरणिका, जो वे कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए आवश्यक समझेंगे, मंगवाएंगे ।

8. विश्वविद्यालय को देय किसी राशि के लिए प्रबंधन मण्डल द्वारा तदर्थ विधिवत अधिकृत व्यक्तियों द्वारा अथवा वित्त अधिकारी अथवा अधिकृत एक व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा दी गई पावती, ऐसी राशि से भारमुक्त होने के लिए पर्याप्त होगी।

परिनियम क्रमांक - 7

प्राध्ययन केन्द्र (स्कूल आफ स्टडीज) के संकाय / निकाय / परिसर के संकाय प्रमुखों की नियुक्ति - शक्तियों एवं कर्तव्य
(अधिनियम की धारा 12 देखें)

1. अध्ययन के संकाय / निकाय / परिसर के प्रत्येक संकायप्रमुख की नियुक्ति, अध्ययन के संकायों के आचार्यों में से, कुलपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जाएगी तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
परंतु यदि किसी समय अध्ययन के किसी संकाय में कोई प्राचार्य न हो तो, कुलपति अथवा उनकी ओर से इसके लिए अधिकृत संकायाध्यक्ष, अध्ययन के अध्ययन शाला / संकाय / परिसर के संकायप्रमुख के कर्तव्य निष्पादित करेंगे।
2. जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा जब संकायाध्यक्ष दुःस्वास्थ्य / अस्वस्थता के कारण, अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में असमर्थ हों तब इस पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे कुलपति इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे।
3. संकायप्रमुख अध्ययनशाला / संकाय / परिसर के प्रमुख होंगे एवं संकाय में शिक्षण एवं शोध के स्तर के संचालन के, एवं स्तर को बनाए रखने के उत्तरदायी होंगे तथा उनके ऐसे अन्य कार्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित होंगे।
4. संकायप्रमुख का, अध्ययन मण्डल अथवा अध्ययन की समिति की किसी बैठक में जो भी स्थिति हो, उपस्थित रहने एवं बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वे उसके सदस्य न हों, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

परिनियम क्रमांक - 8

विभागाध्यक्षों की नियुक्ति

1. उस विभाग में, जिसमें एक से अधिक आचार्य हों, आचार्यों में से विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी।
2. उन विभागों में जिनमें आचार्य न हों, उपाचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त करने का कर्तव्य को विकल्प रहेगा।

3. विभागाध्यक्ष, नियुक्त व्यक्ति तीन वर्ष के लिए उक्त पद धारण करेगा तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ।
4. विभागाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित होंगे ।

परिनियम क्रमांक - 9

कुलानुशासक एवं छात्रपालों की नियुक्ति (अधिनियम की धारा 8, (7) देखें)

1. (क) प्रत्येक कुलानुशासक की नियुक्ति, कुलपति की अनुशंसा पर, प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी, एवं वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जो उन्हें कुलपति द्वारा सौंपे जाएंगे।
- (ख) प्रत्येक कुलानुशासक दो वर्ष तक पद धारण करेंगे एवं पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ।
- (ग) कुलानुशासक के निबंधन, शर्तें एवं कर्तव्य अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।
2. विश्वविद्यालय द्वारा संचारित सभा भवनों / छात्रावासों के संबंध में, छात्रपालों की नियुक्ति, प्रबंधन मण्डल द्वारा की जाएगी । छात्रपाल दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे एवं वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ।

परिनियम क्रमांक - 10

ग्रन्थपाल की नियुक्ति.

(अधिनियम की धारा 8 एवं 15 देखें)

1. ग्रन्थपाल की नियुक्ति, चयन के उद्देश्य से गठित, चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबंधन मण्डल द्वारा की जाएगी तथा वे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे ।
2. ग्रन्थपाल समय समय पर निर्धारित होने वाली ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करें ।

परिनिियम क्रमांक - 11

प्रबंधन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ, कार्य एवं गणपूर्ति
(अधिनियम की धारा 17 एवं 18 से उद्धरित)

1. प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारिणी संस्था होगी तथा उसमें निम्न सम्मिलित रहेंगे :
 - (1) कुलपति ;
 - (2) प्रतिकूलपति ;
 - (3) वरिष्ठता के अनुसार क्रमानुवर्तन से कुलपति द्वारा नियुक्त, प्राध्ययन केन्द्रों के एक संकायप्रमुख (संकायाध्यक्ष) ;
 - (4) वरिष्ठता के अनुसार क्रमानुवर्तन से कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय के एक विभागाध्यक्ष, जो संकायप्रमुख (संकायाध्यक्ष) नहीं हो ;
 - (5) वरिष्ठता के अनुसार क्रमानुवर्तन से कुलपति द्वारा नियुक्त एक आचार्य जो संकायप्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष नहीं हो ;
 - (6) वरिष्ठता के अनुसार क्रमानुवर्तन से कुलपति द्वारा नियुक्त एक उपाचार्य जो विभाग के अध्यक्ष नहीं हो ;
 - (7) वरिष्ठता के आधार पर क्रमानुवर्तन से कुलपति द्वारा नियुक्त एक प्राध्यापक ;
 - (8) उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ;
 - (9) वैदिक शिक्षा में प्रवीण और अथवा सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त, कुलाधिपति द्वारा मनोनीत, चार व्यक्ति ;
2. प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों को छोड़कर, मनोनयन के अथवा ऐसी नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे ।
3. प्रबंधन बोर्ड के सात सदस्य, बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे ।

प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य :-

1. प्रबंधन बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व एवं सम्पत्ति के प्रबंधन एवं प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी प्रशासकीय कार्यों के संचालन की, ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो अन्यथा प्रावधानित न हों ।

2. अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, प्रबंधन बोर्ड को, उसमें निहित सभी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होगी अर्थात् ;
 - (1) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या एवं परिलब्धियाँ अवधारित करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के प्राचार्यों, आचार्यों, प्रवाचकों, प्राध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के कार्य एवं सेवा की शर्तें निर्धारित करना ;
परंतु प्रबंधन बोर्ड द्वारा, विद्या-परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार किए बिना, अध्यापकों एवं शैक्षणिक कर्मचारी वृंद की संख्या, योग्यताएं तथा परिलब्धियों के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
 - (2) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के ऐसे आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारीवृंद को, जैसा आवश्यक हो तथा प्राचार्यों का चयन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति करना तथा उनकी अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति करना ;
 - (3) प्रशासकीय लिपिकवर्गीय एवं अन्य आवश्यक पद निर्मित करना तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित विधि से उन पर नियुक्तियाँ करना ;
 - (4) कुलाधिपति एवं कुलपति के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अवकाश, अनुपस्थिति की अनुमति देना, तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों के निर्वहन की आवश्यक व्यवस्था करना ;
 - (5) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन व्यवस्थित एवं प्रभावशील करना ;
 - (6) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखे, निवेशों, सम्पत्ति, कार्य एवं सभी प्रशासनिक कार्य प्रबंधित एवं व्यवस्थित करना तथा इन उद्देश्यों के लिए, ऐसे अभिकर्ता जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त करना ;
 - (7) वित्त समिति की अनुशंसा पर, वर्ष के संपूर्ण आवर्ती एवं संपूर्ण अनावर्ती व्यय की सीमा निर्धारित करना ;
 - (8) विश्वविद्यालय के धन (किसी अप्रयुक्त आय सहित) को, ऐसे निधि पत्रों, निधियों, अंशों अथवा प्रतिभूतियों में, जैसा वह उचित समझे समय समय पर निवेशित करना, अथवा भारत में अचल सम्पत्ति के प्रयोजनार्थ ऐसे निवेशों में समय समय पर प्रवर्तित करना ;

- (9) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल सम्पत्ति अथवा चल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करना अथवा उसका हस्तान्तरण स्वीकार करना ;
- (10) विश्वविद्यालय के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए भवन, परिसर, उपस्कर, उपकरण एवं अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध कराना ;
- (11) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंधों को निष्पादित करना, परिवर्तित करना, कार्यान्वित करना एवं निरस्त करना ;
- (12) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और विद्यार्थियों को, जो किसी भी कारण से अपने को व्यथित समझें, शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्याय-निर्णयन करना, एवं यदि उचित समझा जाए तो उनका निवारण करना ;
- (13) विद्या-परिषद से परामर्श करने के पश्चात परीक्षकों एवं निदर्शिकों को नियुक्त करना, एवं यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना, तथा उनका शुल्क परिलब्धियां तथा यात्रा एवं अन्य भत्ते निर्धारित करना ;
- (14) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुहर का चयन करना तथा ऐसी मुहर की अभिरक्षा एवं उपयोग की व्यवस्था करना ;
- (15) महिला विद्यार्थियों के आवास एवं अनुशासन के लिए विशेष, जैसी आवश्यक हो ऐसी व्यवस्था करना ;
- (16) कुलपति, प्रति कुलपति, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव अथवा वित्त अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कर्मचारी अथवा प्राधिकारी अथवा नियुक्त समिति को जैसा उचित समझा जाए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करना ;
- (17) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक एवं पुरस्कार सन्स्थित करना ;
- (18) अतिथि आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, सलाहकारों एवं विद्वानों की नियुक्ति के लिये उपलब्ध करना तथा ऐसी नियुक्तियों के निबंधन एवं शर्तों का निर्धारण करना और ;
- (19) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जो अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त अथवा उस पर अधिरोपित हों ।

परिनियम क्रमांक - 12

विद्या-परिषद् का गठन, शक्तियाँ, कार्य एवं गणपूर्ति (अधिनियम की धारा 19 देखें)

अ. विद्या-परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा

1. कुलपति पदेन अध्यक्ष
2. प्रति कुलपति
3. प्राध्ययन केन्द्रों (स्कूल ऑफ स्टडीज) के संकायाध्यक्ष (डीन्स)
4. शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष
5. वरिष्ठता के अनुसार क्रमानुवर्तन से कुलपति द्वारा मनोनीत चार आचार्य ; ✓
6. विद्या-परिषद् की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों ऐसे, उनकी विद्वता के लिए कुलपति द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति ;
7. महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ के दो न्यासी सदस्य अथवा न्यास मण्डल द्वारा मनोनीत दो (सदस्य) ;

ब. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, विद्या-परिषद् के सभी सदस्य, मनोनयन / नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

स. विद्या-परिषद् के सात सदस्य, विद्या-परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

द. अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन, निहित सभी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त विद्या-परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :

- (क) विश्वविद्यालय की शिक्षा विषयक नीतियों का व्यापक पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षण की रीतियों, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं में सहयोगात्मक शिक्षण, शोध कार्य का मूल्यांकन तथा शिक्षण के स्तर के समुन्नति विषयक निर्देश देना ।
- (ख) संस्थाओं में परस्पर समन्वय स्थापित करना अन्तर संस्था आधार पर परियोजनाएं आरंभ करने के लिए समितियाँ अथवा मण्डल स्थापित करना अथवा नियुक्त करना ।
- (ग) स्वप्रेरणा से अथवा विद्यालय / संकाय / परिसर अथवा प्रबन्धन मण्डल के संदर्भ पर व्यापक शैक्षणिक विषयों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्यवाही करना ।
- (घ) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कार्यवाही, अनुशासन, आवास, प्रवेश, अध्येतावृत्ति एवं शिष्यवृत्ति के पुरस्कार, शुल्क-फ़्ट तथा विद्यार्थियों / अध्यापकों के कल्याण से

संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में ऐसे विनियम एवं नियम बनाना जो परिनियमों एवं अध्यादेशों से संगत हों ।

- (ड.) प्रबंधन बोर्ड द्वारा सौंपे गए अथवा प्रत्यायोजित किसी विषय पर प्रतिवेदन देना ।
(1) विश्वविद्यालय में एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचारित अन्य केन्द्रों में अध्यापन के पदों को निर्मित करना तथा समाप्त करना एवं (2) उपमद (1) में उल्लिखित पदों एवं उनसे संलग्न कार्यों का वर्गीकरण करना ।
- (घ) संकायों के गठन के लिए योजनाओं को रूप देना, उन्हें परिवर्तित करना अथवा संशोधित करना तथा ऐसे संकायों को तत्संबंधी विषय सौंपना तथा किसी संकाय की समाप्ति के औचित्य अथवा उप विभाजन अथवा एक संकाय के अन्य संकाय से संयोजन पर प्रबंधन मण्डल को प्रतिवेदन देना ।
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित केन्द्रों पर दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत नामांकित किए गए विद्यार्थियों के शिक्षण एवं परीक्षा की व्यवस्था करना ।
- (ज) विश्वविद्यालय में समय-समय पर शोध कार्य में अभिवृद्धि करना ।
- (झ) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना ।
- (ञ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समिति नियुक्त करना ।
- (ट) अन्य विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं के पत्रोपाधि एवं उपाधियों को मान्यता देना तथा विश्वविद्यालय के उपाधि पत्रों एवं उपाधियों के तत्स्थानी मान निर्धारित करना ।
- (ठ) प्रबंधन मण्डल के अनुमोदन से, परीक्षकों की नियुक्ति करना, तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना, उनकी फीस, उपलब्धियां, यात्रा एवं अन्य व्यय निर्धारित करना ।
- (ड) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले केन्द्रों / संस्थाओं / महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए, निरीक्षकों अथवा निरीक्षक मण्डल की नियुक्ति करना ।
- (ण) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना अथवा ऐसा करने के लिए समिति अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उपाधि, सम्मान, पत्रोपाधि, पदवी आदि प्रदान करने अथवा देने के विषय में अनुशंसा करना ।
- (त) शैक्षणिक विषयों से संबंधित ऐसे सभी कर्तव्यों का निष्पादन करना एवं ऐसे सभी कार्य करना, जो अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

परिनियम क्रमांक - 13

योजना बोर्ड का गठन, शक्तियां एवं कार्य
(अधिनियम की धारा 20 देखें)

1. योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :
 1. कुलपति पदेन अध्यक्ष ;
 2. प्रति-कुलपति ;
 3. कुलपति द्वारा मनोनीत स्कूल ऑफ स्टडीज (शाखा/संकाय/परिसर की शाखाओं) के दो संकायाध्यक्ष ;
 4. कुलपति द्वारा मनोनीत दो आचार्य ;
 5. कुलपति द्वारा मनोनीत तीन-प्रख्यात वैदिक विद्वान ;
 6. न्यास के दो सदस्य अथवा महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठम् के न्यासी मण्डल के दो मनोनीत (सदस्य) ;
2. कुलसचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।
3. मण्डल की बैठक के लिए पाँच सदस्य गणपूर्तक होंगे ।
4. योजना मण्डल, विश्वविद्यालय की योजना बनाने वाली मुख्य संस्था होगी तथा निम्न के वास्ते उत्तरदायी होगी :-
 - (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों की समीक्षा ;
 - (ख) विश्वविद्यालय में शिक्षण के ढाँचे की व्यवस्था करना, तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए एवं समाज में उपयोगी कार्य में निपुणता के लिए उपयुक्त हों, ऐसे विषयों के भिन्न-भिन्न संयोजनों को लेने के लिए, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना ;
 - (ग) ऐसा वातावरण एवं आचरण निर्मित करना जिससे मूल्य अनुस्थापक-शिक्षण, सहज हो ;
 - (घ) शिक्षण-शिक्षा प्राप्ति की नवीन प्रक्रियाओं को विकसित करना जो व्याख्यान, उप-शिक्षण, परिसंवाद एवं शिक्षण के अन्य साधन, स्वशिक्षण तथा सामूहिक प्रायोगिक परियोजनाओं को जोड़े ;
5. अधिनियम में दिए गए उद्देश्यों की दृष्टि में रखते हुए, योजना मण्डल को विश्वविद्यालय के विकास के लिए एवं प्रगति की समीक्षा, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सलाह देने की शक्तियां होंगी, जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वे उसकी बताई गई दिशा में हैं

- तथा प्रबंधन बोर्ड को एवं विद्या परिषद् को भी उस संबंध में किसी भी विषय पर सलाह देने की शक्तियां होंगी ।
6. योजना मण्डल ऐसी समितियों का गठन कर सकता है जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की आयोजना एवं संचालन के लिए आवश्यक हों ।

परिनियम क्रमांक - 14

अध्ययन मण्डलों (अध्ययन शालाएँ / संकाय / परिसर एवं विभाग)
(अधिनियम की धारा 21 देखें)

1. विश्वविद्यालय में ऐसी अध्ययन शालाएँ / संकाय / परिसर होंगे जो अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट हों ।
2. प्रत्येक अध्ययन शाला (स्कूल ऑफ स्टडीज) में एक अध्ययन मण्डल होगा तथा अध्ययन मण्डल के सदस्य कुलपति द्वारा मनोनीत होंगे तथा तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे ।
3. मण्डल की शक्तियां एवं कार्य होंगे ;
 - (1) अध्ययन मण्डल की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात, अध्ययन शालाओं / संकायों / परिसर में समाविष्ट विभिन्न विषयों के अध्ययन के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना ;
 - (2) संबंधित अध्ययन मण्डल की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात, विद्या परिषद को अध्ययन शालाओं / संकायों / परिसर को सौंपे गए विषयों पर परीक्षकों के नामों की अनुशंसा करना ;
 - (3) ऐसे और इतने अध्ययन मण्डलों का गठन करना, जितने, अध्ययन शालाओं / संकायों / परिसर में समाविष्ट विषयों का शिक्षण देने वाले विभाग हैं ।
 - (4) बैठकों, अध्ययन मण्डलों के गठन एवं अन्य सम्बद्ध विषयों में पालन की जाने वाली प्रक्रियाएँ निर्धारित करने वाले विनियम बनाना ।
4. मण्डल की बैठकों का संचालन एवं आवश्यक गणपूर्ति इस प्रकार होगी :-
 - (1) (क) संकायाध्यक्ष, जब कभी वे आवश्यक समझें, अध्ययन शालाओं / संकायों / परिसर की बैठकों को आमंत्रित कर सकते हैं । वे अवधि में एक बार तथा कुल सदस्यों की संख्या से एक तिहाई से कम नहीं हों इतने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मॉग प्राप्त होने पर, वे बैठक आमंत्रित करेंगे । परन्तु मॉग किए जाने पर आमंत्रित किया जाना आवश्यक हो ऐसी बैठक, जब विश्वविद्यालय अवकाश के लिए बंद हो, ऐसी अवधि के दौरान, आमंत्रित नहीं की जाएगी ;

(ख) मांग में यह दर्शाया जाएगा कि बैठक किस कारण से एवं किन कारणों से बुलाई जानी है ;

(ग) मांग पर बुलाई गई बैठक में, जिस कारण से बैठक बुलाई गई है, उनके अतिरिक्त अन्य विषयों पर चर्चा नहीं होगी ;

(2) आपत्तिक बैठकों के प्रकरणों को छोड़कर सूचना, जो सात दिवस से कम की न हों, दी जाएगी । सूचना में बैठक का समय एवं स्थान तथा सम्पादित किया जाने वाला कार्य दर्शाया जाएगा तथा सूचना कूलसचिव द्वारा जारी की जाएगी ;

(3) बैठक की गणपूर्ति में, अध्ययन शालाओं / संकायों / परिसर के एक तिहाई सदस्य होंगे ;

5. (क) प्रत्येक अध्ययन शालाओं / संकायों / परिसर में ऐसे विभाग होंगे जो अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट होंगे ;

(ख) विद्या-परिषद एवं प्रबंधन मण्डल के बिना पूर्वानुमोदन के कोई विभाग स्थापित अथवा समाप्त नहीं किया जाएगा ;

(ग) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. विभागाध्यक्ष एवं विभाग के अध्यापक ;
2. विभाग के शोध छात्र ;
3. विभाग से सम्बद्ध मानसेवी आचार्य यदि कोई हों तो , एवं ;
4. अध्यादेशों के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो विभाग के सदस्य हों ;

परिनियम क्रमांक - 15

अध्ययन मण्डलों के कार्य

(अधिनियम की धारा 16 देखें)

1. प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन मण्डल होगा ;

2. अध्ययन मण्डल का गठन तथा उसके सदस्यों के पद के निबन्धन होंगे :

(क) विभागाध्यक्ष (पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष) ;

(ख) विभाग के सभी आचार्य (पदेन सदस्य) ;

(ग) तीन प्रवाचक वरिष्ठता क्रम से ;

(घ) तीन प्राध्यापक वरिष्ठता क्रम से ।

3. समिति के सदस्यों के एक तिहाई सदस्य, बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे ; परन्तु यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है तो, स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।
4. अध्ययन मण्डल के कार्य विभिन्न उपाधि / पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने वाले विषयों एवं शोध की अन्य आवश्यकताओं का अनुमोदन करना तथा अध्ययन शालाओं / संकायों / परिसर को अनुशंसा करना ।
 - (क) शोध उपाधियों को छोड़कर अध्ययन के पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षकों की नियुक्ति ;
 - (ख) शोध के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा ;
 - (ग) स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोध के स्तर में सुधार के उपाय ।

परिनियम क्रमांक - 16

वित्त समिति का गठन, शक्तियां एवं कार्य (अधिनियम की धारा 22 देखें)

1. वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :
 - (1) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;
 - (2) यथास्थिति एक अथवा एक से अधिक प्रति कुलपति ;
 - (3) कुल सचिव ;
 - (4) प्रबन्धन बोर्ड द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक प्रबंधन बोर्ड का सदस्य हो ;
 - (5) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य तथा ;
 - (6) महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम के दो न्यासी सदस्य अथवा महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम द्वारा मनोनीत दो सदस्य ;
2. वित्त अधिकारी, वित्त समिति के सचिव का कार्य करेंगे ।
3. वित्त समिति की बैठक के लिए वित्त समिति के पाँच सदस्य गणपूर्ति करेंगे ।
4. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

तालिका

| (1) | (2) |
|--------------------------------------|---|
| <p>आचार्य</p> <p><i>Kulapati</i></p> | <p>(1) यदि वे आचार्य हों तो विभागाध्यक्ष-;</p> <p>(2) कुलपति द्वारा मनोनीत, अध्ययन के संकायों से एक संकायाध्यक्ष ;</p> <p>(3) जिससे आचार्य संबंधित होंगे उस विषय के उनके विशेष ज्ञान के लिए अथवा अभिरूचि के लिए, कुलपति द्वारा मनोनीत-तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों ;</p> |
| <p>उप-आचार्य / प्राध्यापक</p> | <p>(1) संबंधित विभागाध्यक्ष ;</p> <p>(2) कुलपति द्वारा मनोनीत एक आचार्य ;</p> <p>(3) प्रवाचक अथवा प्राध्यापक जिस विषय से संबंधित होंगे, उस विषय के उनके विशेष ज्ञान के लिए अथवा अभिरूचि के लिए, कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों ;</p> |
| <p>कुलसचिव / वित्त अधिकारी</p> | <p>(1) प्रबंधन बोर्ड का, इनके द्वारा मनोनीत एक सदस्य ;</p> <p>(2) विषय का जिसे विशेष ज्ञान हो, ऐसा कुलपति द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो ।</p> |
| <p>ग्रन्थपाल</p> | <p>(1) एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिसे पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, कुलपति द्वारा मनोनीत होगा ।</p> <p>(2) एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, कुलाधिपति द्वारा मनोनीत होगा तथा एक व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान या विषयगत अभिरूचि के कारण विद्या-परिषद् द्वारा मनोनीत होगा ।</p> |

टीप : जहां नियुक्ति अन्तर्विभाग योजना के लिए की जा रही हो वहां संबंधित विभागाध्यक्ष ही, योजना के अध्यक्ष होंगे ।

कुलपति अथवा उनकी अनुपस्थिति में एक प्रति कुलपति, चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे ;

4. चयन समिति की कार्यवाही वैध नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति एवं कुलाधिपति द्वारा मनोनीत चार अथवा तीन व्यक्तियों में से कम से कम दो व्यक्ति बैठक में उपस्थित नहीं हों ;
5. चयन समिति की बैठक कुलपति द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रति-कुलपति द्वारा आमंत्रित की जाएगी ;
6. यदि प्रबंधन मण्डल, चयन समिति की अनुशंसा को स्वीकार करने में असमर्थ हों, तो वह इसके कारण लेखबद्ध करेगा एवं अंतिम आदेशों के लिए प्रकरण कुलाधिपति को सौंपेगा ;

परिनियम क्रमांक - 18

अध्यापन पदों पर नियत पदावधि के लिए नियुक्ति की विशेष रीति
(अधिनियम की धारा 24 देखें)

1. परिनियम 15 में विहित किसी भी बात के होते हुए भी, प्रबंधन मण्डल, उच्च विद्यालयिक प्रावीण्य एवं व्यावसायिक योग्यता धारक व्यक्ति को, विश्वविद्यालय के आचार्य अथवा उपाचार्य अथवा किसी अन्य शैक्षणिक पद, जो भी स्थिति हो, को स्वीकार करने के लिए, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जो वह उचित समझे, आमंत्रित कर सकता है तथा उस व्यक्ति को ऐसा स्वीकार करने पर, पद पर नियुक्त कर सकता है ;
2. प्रबंधन मण्डल, विश्वविद्यालय अथवा संस्था में कार्यरत किसी शिक्षक अथवा किसी शैक्षणिक कर्मचारी का, सहयोगात्मक एवं संयुक्त परियोजना हाथ में लेने के लिए, अध्यादेशों में दी गई रीति के अनुसार, नियुक्त कर सकता है ;
3. प्रबंधन मण्डल, परिनियम 17 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार घयनित व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर नियुक्त कर सकता है ।

परिनियम क्रमांक - 19

समिति का गठन
(अधिनियम की धारा 34 देखें)

1. विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण समय-समय पर, जितनी उचित समझे उतनी स्थायी अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकता है तथा ऐसी समितियों में, जो प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है ।

खण्ड 1 के अंतर्गत नियुक्त ऐसी समिति, उसको सौंपे गए किसी विषय का कार्य समिति द्वारा नियुक्त प्राधिकरण की पुष्टि के अधीन, करेगी।

परिनियम क्रमांक - 20

अध्यापकों के सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा आचरण-संहिता (अधिनियम की धारा 29 देखें)

1. विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक एवं शैक्षणिक कर्मचारीवर्ग, अन्य किसी अनुबंध के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों में निर्दिष्ट सेवा के निबंधन एवं शर्तों तथा आचरण-संहिता द्वारा शासित होंगे।
2. विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवर्ग का सदस्य नीचे दिए गए लिखित अनुबंध पर नियुक्त होगा।
3. खण्ड 2 में दिए गए प्रत्येक अनुबंध की एक प्रति कुलसचिव के पास जमा की जाएगी।

परिनियम 20 की धारा 2 के अनुसार सेवा अनुबंध का फार्म अनुबंध का ज्ञापन-पत्र

शिक्षक (अत्रपश्चात् शिक्षक कहा जाएगा), प्रथम पक्ष तथा 1995 के अधिनियम क्रमांक 37 के अंतर्गत संस्थापित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, अत्रपश्चात् जिसे विश्वविद्यालय कहा जाएगा, द्वितीय पक्ष, के मध्य इस _____ दिन, माह _____, वर्ष एक हजार नौ सौ _____ को निष्पादित किया जाता है।

एतद् द्वारा निम्नानुसार अनुबन्ध किया जाता है :

1. यह कि, विश्वविद्यालय, एतद् द्वारा _____ को विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारीवर्ग में, उस दिनांक से नियुक्त करता है, जिस दिनांक से उक्त _____ अपने पद का कार्यभार ग्रहण करता है तथा उक्त _____ विश्वविद्यालय में अपनी नियुक्ति को स्वीकार करता है एवं ऐसे उत्तरदायित्व का भागी होता है, एवं ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करता है, जो प्रभावी अधिनियम, परिनियमों, एवं अध्यादेशों के अंतर्गत आवश्यक हों, चाहे वे अनुदेशों अथवा शिक्षण के आयोजन अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा अथवा उनके अनुशासन अथवा उनके कल्याण से संबंधित हों तथा सामान्यतः जो विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्देशों के अधीन हों।
2. यह कि, शिक्षक एक वर्ष की परीक्षा-अवधि पर रहेगा एवं यह परीक्षा अवधि आगे भी प्रबंधन मण्डल द्वारा 12 माह की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है। शिक्षक को इस नियुक्ति में, उसकी परीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्थायी किया जाएगा, यदि उस

अवधि के समाप्त होने के एक माह पूर्व, विश्वविद्यालय उसे स्थायी न करने के अपने आशय से लिखित में अवगत नहीं कराता है ।

3. यह कि, उक्त शिक्षक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक शिक्षक होगा तथा खण्ड 2 के अधीन तथा जब तक, अनुबंध, प्रबंधन मण्डल द्वारा अथवा शिक्षक द्वारा एतद् पश्चात् प्रावधानिक समाप्त नहीं किया जाता है, प्रबंधन मण्डल द्वारा निर्धारित आयु तक विश्वविद्यालय की सेवा में रहेगा जब तक वह पूर्ण नहीं कर लेता ।
4. विश्वविद्यालय _____ को, एतदधीन उसकी सेवा के निरंतर रहते, परिश्रमिक के रूप में रुपये _____ वेतन प्रतिमाह जो रुपये _____ वार्षिक वेतन वृद्धि से बढ़ते हुए अधिकतम रुपये _____ प्रतिमाह होगा, भुगतान करेगा ।
परन्तु जहां शिक्षक की नियुक्ति के अथवा उपलब्धियों के स्वरूप में कोई परिवर्तन हो तो, परिवर्तन के विवरण इसके साथ संलग्न सूची में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ, लेखबद्ध किए जाएंगे, तथा इस अनुबंध के निबंधन यथा परिवर्तित नए पद एवं उसके साथ संलग्न निबंधन एवं शर्तों के लिए लागू होंगे ।
परन्तु आगे यह भी कि कुलपति के निर्देशन पर, प्रबंधन मण्डल के संकल्प के द्वारा किए जाने के अतिरिक्त, कोई वेतन वृद्धि रोकी अथवा विलम्बित नहीं की जाएगी तथा शिक्षक को लिखित अभ्यावेदन देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।
5. यह कि उक्त _____ विश्वविद्यालय में समय समय पर प्रभावशील अध्यादेशों एवं विनियमों से बाध्य होने के लिए सहमत होगा ।
6. यह कि, शिक्षक अपना पूर्ण समय विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्पित करेगा तथा विश्वविद्यालय की बिना अनुमति के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा किसी निजी अध्यापन अथवा अन्य कार्य जिसके साथ कोई मानदेय जुड़ा हो, से संलग्न नहीं होगा, किन्तु यह निषेध विश्वविद्यालय अथवा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के संबंध में हाथ में लिए गए कार्य तथा अन्य किसी परीक्षा कार्य जिसमें कुलपति की अनुमति ले ली गई हो, में लागू नहीं होगा, और न ही निषेध किसी साहित्यिक कृति के प्रकाशन के लिए लागू होगा ।
7. (1) अत्रपूर्ण वर्णित किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड, अत्रपश्चात् उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, कदाचरण के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति को संक्षेपतः समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा ।
(2) कुलपति, जब आवश्यक समझे, कदाचरण के आधार पर शिक्षक को निलम्बित कर सकते हैं । जब शिक्षक को निलम्बित करेंगे, तब प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक को प्रतिवेदन देंगे ।
(3) शिक्षक के कदाचरण के, चाहे वह निलम्बित हुआ हो अथवा न हुआ हो, कुलपति द्वारा प्रतिवेदित, सभी प्रकरणों की जाँच प्रबंधन मण्डल करेगा । इस कार्य के लिए प्रबंधन मण्डल एक समिति नियुक्त कर सकता है । शिक्षक को, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को लिखित में सूचित किया जाएगा तथा उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय, जो तीन सप्ताह से कम का नहीं होगा, दिया जाएगा ।

8. जिसकी सेवाएं इस खण्ड के अंतर्गत समाप्त कर दी गई हों, उस शिक्षक को, सेवा समाप्ति के संकल्प के दिनांक से, सूचना-पत्र जो एक माह से कम का नहीं होगा, दिया जाएगा, अथवा उसके बदले में वेतन, जो एक माह से कम का नहीं होगा, दिया जाएगा ।
9. इस नियुक्ति के, किसी भी कारण से समाप्त होने पर, शिक्षक, सभी पुस्तकें, उपकरण, अभिलेख एवं विश्वविद्यालय की अन्य वस्तुएं जो उसके द्वारा देय हों, विश्वविद्यालय को सौंपेगा ।

अनुसूची - 1

शिक्षक का पूरा नाम
पता
पदनाम
वेतन रुपये वेतनमान

टीप :

वेतनमान, वेतन अथवा पदनामों में परिवर्तन का संक्षेप में उल्लेख किया जाए ;
वेतनमान के पदनाम का परिवर्तन शिक्षक के हस्ताक्षर ;
प्रबंधन मण्डल के अनुमोदन का दिनांक अधिकारी के हस्ताक्षर ;
परिवर्तन जिस दिनांक से प्रभावशील होगा ।

परिनियम क्रमांक - 21

सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य कर्मचारियों की आचरण - संहिता
(अधिनियम की धारा 29 देखें)

शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, किसी अन्यथा अनुबंध के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों, में निर्दिष्ट सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा आचरण-संहिता द्वारा शासित होंगे ।

परिनियम क्रमांक - 22

वरिष्ठता सूची तैयार करना एवं संधारित करना (अधिनियम की धारा 29 देखें)

1. जब कभी, परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को पद धारण करना होगा अथवा वरिष्ठता के अनुसार क्रमानुवर्तन से, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होना होगा, तब ऐसी वरिष्ठता, उस व्यक्ति की, उसके वेतनमान में उसकी निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार, एवं ऐसे सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होगी जो प्रबंधन मण्डल समय-समय पर निर्धारित करेगा।
2. कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वे, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति, जिन्हें इन परिनियमों के प्रावधान लागू होते हैं, के लिए खण्ड (1) के प्रावधानों के अनुसार, पूर्व एवं अद्यतन वरिष्ठता सूची, प्रत्येक वर्ष, दिसम्बर के अंत तक बनाएं एवं संधारित करें।
3. यदि दो अथवा अधिक व्यक्तियों की किसी एक वेतनमान में निरंतर सेवा की अवधि बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की तुलनात्मक वरिष्ठता में अन्यथा संशय हो तो, कुलसचिव स्वयं के प्रस्ताव तथा ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर प्रकरण प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

परिनियम क्रमांक - 23

विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का निष्कासन (अधिनियम की धारा 29 देखें)

1. जहां शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी अथवा अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कदाचरण के आरोप हो वहां शिक्षक एवं शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के संबंध में कुलपति तथा अन्य कर्मचारी के संबंध में, नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी (अत्र पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी उल्लेखित किया गया है) लिखित आदेश द्वारा निलंबित कर सकेगा तथा प्रबंधन मण्डल को प्रतिवेदन देगा, एवं जिन परिस्थितियों में आदेश दिया गया है बताया गया। परंतु प्रबंधन मण्डल, यदि उसका ऐसा मत हो कि परिस्थितियां, शिक्षक के अथवा शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के निलंबन को प्रमाणित नहीं करती हैं, आदेश को रद्द कर सकता है।
2. नियुक्ति के अनुबंध की शर्तों अथवा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन एवं शर्तों में सम्मिलित किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के संबंध में प्रबंधन मण्डल को तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, कदाचरण के आधार पर, निष्कासित करने की शक्तियां होंगी।

3. पूर्वोक्त के अतिरिक्त, प्रबंधन बोर्ड अथवा नियुक्ति-प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, दोषी पाए जाने पर, शिक्षक को, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य को अथवा अन्य कर्मचारियों को, एक माह की सूचना देकर अथवा उसके स्थान पर वेतन देकर निष्कासित कर सकते हैं ।
4. अनुशासन कार्य निष्पादन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी शक्तियां प्रबंधन बोर्ड में निहित होंगी ।
5. जहां शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद का सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी, निष्कासन के समय निलंबन पर हो, ऐसा निष्कासन उस दिनांक से प्रभावशील होगा जिस दिनांक से वह निलंबन पर है ।
6. पूर्व प्रावधानों की किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद का सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी, त्याग-पत्र दे सकता है ।

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, प्रबंधन मण्डल को अथवा नियुक्ति-प्राधिकारी को जैसी भी स्थिति हो, तीन माह की लिखित सूचना देने के पश्चात् अथवा उसके स्थान पर तीन माह का वेतन देकर ;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो प्रबंधन मण्डल को अथवा नियुक्ति-प्राधिकारी को जैसी भी स्थिति हो एक माह की लिखित सूचना देने के पश्चात् अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर ;

परंतु ऐसा त्यागपत्र, प्रबंधन मण्डल अथवा नियुक्ति-प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकृत किए जाने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

परिनियम क्रमांक - 24

मानद उपाधि

(अधिनियम की धारा 24 (ज) देखें)

1. प्रबंधन मण्डल, विद्या-परिषद की अनुशंसा पर तथा दो तिहाई से कम न हो ऐसी उपस्थिति एवं मतदान के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा मानद उपाधियां प्रदान करने के प्रस्ताव कुलाधिपति को दे सकता है ।
2. प्रबंधन बोर्ड, दो तिहाई से कम न हो ऐसी उपस्थिति एवं मतदान से पारित संकल्प द्वारा, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी मानद उपाधि को वापस ले सकता है ।

परिनियम क्रमांक - 25

उपाधि / उपाधिपत्र / प्रमाण-पत्र वापस लेना

(अनिधनियम की धारा 24 (क) देखें)

प्रबंधन मण्डल, दो तिहाई से कम न हो, ऐसी सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान से पारित विशेष संकल्प द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई किसी उपाधि अथवा प्रदान किया गया विद्या-विषयक प्राप्तीय अथवा कोई प्रमाण पत्र अथवा उपाधि पत्र, उचित एवं पर्याप्त कारण से वापस ले सकता है।

परंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को, ऐसे समय के अंदर जो सूचना में दर्शाया गया हो, लिखित कारण बताओं सूचना नहीं दी गई हो कि इस प्रकार का संकल्प क्यों नहीं पारित किया जाए तथा जब तक कि उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हों तो, तथा कोई साक्ष्य जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, पर प्रबंधन मण्डल द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता है।

परिनियम क्रमांक - 26

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना

(अधिनियम की धारा 24 (द) देखें)

1. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संबंधित अनुशासन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की सभी शक्तियां, कुलपति में निहित होंगी।
2. कुलपति अपनी सभी अथवा अपनी शक्तियों में से कोई शक्तियां, जैसा वे उचित समझें, प्रति कुलपति अथवा ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वे इसके लिए उल्लिखित करें, प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
3. बिना पूर्वाग्रह के कुलपति, अनुशासन बनाए रखने के संबंध में एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए जो उचित लगे ऐसी कार्यवाही करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, कुलपति, आदेश द्वारा किसी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों को निष्कासित कर सकते हैं, अथवा निश्चित अवधि के लिए निष्कासित कर सकते हैं अथवा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था अथवा विभाग के किसी पाठ्यक्रम से अथवा अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश न पाने के लिए उल्लिखित अवधि के लिए निष्कासित कर सकते हैं, अथवा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था अथवा विभाग द्वारा संचालित परीक्षा अथवा परीक्षाओं में, एक अथवा अधिक वर्षों के लिए बैठने से वंचित कर सकते हैं अथवा संबंधित विद्यार्थी के अथवा विद्यार्थियों के, परिणामों को निरस्त कर सकते हैं।
4. महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के प्राचार्यों, अध्ययन के संकायों के संकाय प्रमुखों एवं विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों को, उनके संबंधित महाविद्यालयों, संस्थाओं, संकायों एवं

- शैक्षणिक विभागों के विद्यार्थियों पर ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करने की शक्तियां होगी, जो महाविद्यालय, संस्थाओं, संकायों एवं शैक्षणिक विभागों के सम्यक् संचालन के लिए आवश्यक हों ।
5. खण्ड (4) में उल्लिखित पूर्वाग्रह के बिना, कुलपति, प्राचार्य एवं अन्य व्यक्तियों की शक्तियों के अनुशासन एवं उचित आचरण के विस्तृत नियम, विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे । महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, अध्ययन के संक्रमणों के संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अध्ययन के विभागों के अध्यक्ष, पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए, जैसा वे उचित समझें, पूरक नियम बना सकते हैं ।
 6. प्रवेश के समय, प्रत्येक विद्यार्थी को इस आशय की घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा कि वह विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन होता है ।

परिनियम क्रमांक - 27

दीक्षांत समारोह

उपाधियां प्रदान करने के लिए अथवा अन्य कार्य के लिए, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह इस प्रकार आयोजित होंगे जैसे कि अध्यादेशों द्वारा निर्धारित हों ।

परिनियम क्रमांक - 28

किसी प्राधिकरण अथवा समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति

जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति की अध्यक्षता करने के लिए सभापति अथवा अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है, अथवा जब इस प्रकार प्रावधानिक सभापति अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, अपने में से एक को चुनेंगे ।

परिनियम क्रमांक - 29

प्राधिकरण अथवा समिति के सदस्य का त्यागपत्र

प्रबंधन मण्डल, विद्या परिषद अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति को, पदेन सदस्य के अतिरिक्त, कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है तथा जैसे ही ऐसा पत्र कुलसचिव द्वारा प्राप्त किया जाता है, त्यागपत्र प्रभावशील होगा ।

परिनियम क्रमांक - 30

प्राधिकरण का सदस्य होने में अनर्हता

1. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने के लिए अथवा सदस्य रहने के लिए अनर्ह हो जाएगा :
 - (1) यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो ;
 - (2) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;
 - (3) यदि उसे नैतिक पतन के अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया हो तथा इस संबंध में कारावास, जो छः माह से कम का न हो, के लिए दण्डित किया गया हो ;
2. यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति अनर्ह है, अथवा खण्ड (1) में बताई गई किसी अनर्हता के अधीन था, तो प्रश्न प्रबंधन मण्डल को सौंपा जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा तथा इस निर्णय के विरुद्ध, व्यवहार न्यायालय में दावा अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

परिनियम क्रमांक - 31

अन्य संस्थाओं का सदस्य होने के आधार पर प्राधिकरण की सदस्यता

परिनियमों में सम्मिलित किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण कर रहा है, अथवा किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय की संस्था का सदस्य है, उसके उस प्राधिकरण में अथवा संस्था में सदस्य होने से अथवा विशेष पद धारण करने से, वह ऐसा पद तब तक धारण करेगा जब तक वह, जैसी भी स्थिति हो उस विशेष प्राधिकरण अथवा संस्था का सदस्य बना रहता है अथवा उस पद को धारण किए रहता है ।

परिनियम क्रमांक - 32

विद्यार्थी परिषद

1. विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विद्यार्थी-परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होंगे :

शैक्षणिक विभागों के विद्यार्थियों पर ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करने की शक्तियां होगी, जो महाविद्यालय, संस्थाओं, संकायों एवं शैक्षणिक विभागों के सम्यक् संचालन के लिए आवश्यक हों ।

5. खण्ड (4) में उल्लिखित पूर्वाग्रह के बिना, कुलपति, प्राचार्य एवं अन्य व्यक्तियों की शक्तियों के अनुशासन एवं उचित आचरण के विस्तृत नियम, विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे । महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, अध्ययन के संकायों के संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अध्ययन के विभागों के अध्यक्ष, पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए, जैसा वे उचित समझें, पुरक नियम बना सकते हैं ।
6. प्रवेश के समय, प्रत्येक विद्यार्थी को इस आशय की घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा कि वह विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन होता है ।

परिनियम क्रमांक - 27

दीक्षांत समारोह

उपाधियां प्रदान करने के लिए अथवा अन्य कार्य के लिए, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह इस प्रकार आयोजित होंगे जैसे कि अध्यादेशों द्वारा निर्धारित हों ।

परिनियम क्रमांक - 28

किसी प्राधिकरण अथवा समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति

जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति की अध्यक्षता करने के लिए सभापति अथवा अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है, अथवा जब इस प्रकार प्रावधानिक सभापति अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, अपने में से एक को चुनेंगे ।

परिनियम क्रमांक - 29

प्राधिकरण अथवा समिति के सदस्य का त्यागपत्र

प्रबंधन मण्डल, विद्या परिषद अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति को, पदेन सदस्य के अतिरिक्त, कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है तथा जैसे ही ऐसा पत्र कुलसचिव द्वारा प्राप्त किया जाता है, त्यागपत्र प्रभावशील होगा ।

परिनियम क्रमांक - 30

प्राधिकरण का सदस्य होने में अनर्हता

1. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने के लिए अथवा सदस्य रहने के लिए अनर्ह हो जाएगा :
 - (1) यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो ;
 - (2) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;
 - (3) यदि उसे नैतिक पतन के अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया हो तथा इस संबंध में कारावास, जो छः माह से कम का न हो, के लिए दण्डित किया गया हो ;
2. यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति अनर्ह है, अथवा खण्ड (1) में बताई गई किसी अनर्हता के अधीन था, तो प्रश्न प्रबंधन मण्डल को सौंपा जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा तथा इस निर्णय के विरुद्ध, व्यवहार न्यायालय में दावा अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

परिनियम क्रमांक - 31

अन्य संस्थाओं का सदस्य होने के आधार पर प्राधिकरण की सदस्यता

परिनियमों में सम्मिलित किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण कर रहा है, अथवा किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय की संस्था का सदस्य है, उसके उस प्राधिकरण में अथवा संस्था में सदस्य होने से अथवा विशेष पद धारण करने से, वह ऐसा पद तब तक धारण करेगा जब तक वह, जैसी भी स्थिति हो उस विशेष प्राधिकरण अथवा संस्था का सदस्य बना रहता है अथवा उस पद को धारण किए रहता है ।

परिनियम क्रमांक - 32

विद्यार्थी परिषद

1. विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विद्यार्थी-परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होंगे :

- (1) विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा ;
 - (2) सभी विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन, ललित कला, खेलकूद एवं विस्तार कार्य में पुरस्कार जीते हैं ;
 - (3) कुलपति द्वारा अध्ययन, खेलकूद गतिविधियाँ एवं सर्वतोमुखी व्यक्तित्व विकास में योग्यता के आधार पर बीस विद्यार्थी मनोनीत किये जायेंगे ।
परंतु विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी को, यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसी अनुमति दी गई हो तो, विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी प्रकरण विद्या-परिषद के सामने लाने का अधिकार होगा तथा उसे किसी भी बैठक में, जिसमें प्रकरण विचारार्थ रखा जाएगा, चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा ।
2. विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों को, अध्ययन, कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में एवं सामान्यतः विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के संबंध में एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सुझाव देना विद्यार्थी-परिषद का कार्य होगा, तथा ऐसे सुझाव बहुमत के आधार पर दिए जाएंगे ।

परिनियम क्रमांक - 33

परिनियम एवं अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे

- क. (1) प्रबंधन मण्डल, समय-समय पर अधिनियम के उद्देश्यों से संगत परिनियम बनाएगा :
- परंतु, प्रबंधन मण्डल, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत अधिकार अथवा गठन को प्रभावित करने वाले कोई परिनियम न बनाएगा, न संशोधित करेगा अथवा न निरस्त करेगा, जब-तक कि ऐसे प्राधिकरण को, प्रस्तावित संशोधनों पर लिखित में अपना मत व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो, तथा ऐसे व्यक्त किए गए किसी मत पर प्रबंधन मण्डल विचार-करेगा ।
- (2) प्रत्येक परिनियम पर अथवा किसी संशोधन पर अथवा निरसन पर कुलाधिपति की सहमति आवश्यक होगी जिस पर वे अपनी सहमति देंगे, अथवा प्रबंधन मण्डल को पुनर्विचारार्थ वापस भेजेंगे ।
- (3) पूर्ववर्ती उपखण्डों में किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, अपवादिक परिस्थितियों में प्रबंधन मण्डल को अपने द्वारा बताए गए किसी विषय के लिए, परिनियमों में प्रावधान करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं तथा यदि प्रबंधन मण्डल ऐसे निर्देशों को, प्राप्त होने के साठ दिवस के भीतर लागू करने में असमर्थ

होता है तो कुलाधिपति, प्रबंधन मण्डल द्वारा ऐसे निर्देशों का पालन करने में अपनी असमर्थता के सूचित किए गए कारणों पर, यदि कोई हों तो, विचार करते हुए, परिनियम बना सकते हैं अथवा उपयुक्त संशोधन कर सकते हैं।

ख.

- (1) धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत बनाए गए अध्यादेशों को, प्रबंधन बोर्ड द्वारा किसी भी समय, नीचे दर्शाई गई रीति से संशोधित, पुनरावृत्ति अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।
- (2) उक्त उप धारा (2) के खण्ड (ड) में प्रमाणन विषयों के संबंध में कोई अध्यादेश, प्रबंधन बोर्ड द्वारा नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या-परिषद द्वारा न बनाया गया हो।
- (3) कुलपति द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिनांक से प्रभावशील होगा।
- (4) कुलपति द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपनाए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाधिपति को शक्तियां होंगी कि अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर ऐसे किसी अध्यादेश का प्रवर्तन स्थगित कर दें तथा वे यथा संभव शीघ्र प्रस्तावित अध्यादेश पर अपनी आपत्ति प्रबंधन मण्डल को सूचित करेंगे। विश्वविद्यालय की टिप्पणियां प्राप्त होने पर कुलाधिपति स्थगन आदेश को या तो वापस ले सकते हैं या अध्यादेश को अस्वीकृत कर सकते हैं, तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

परिनियम क्रमांक - 34

विनियम

(अधिनियम की धारा 27 देखें)

1. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, अधिनियम, परिनिबन्ध एवं अध्यादेश से संगत विनियम, निम्नलिखित विषयों पर बना सकते हैं, अर्थात् :
 - (1) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करना तथा गणपूर्ति होने के लिए सदस्यों की आवश्यक संख्या ;
 - (2) विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सभी विषयों को प्रावधानित करना, जो अधिनियम, विनियम अथवा अध्यादेश के अनुसार आवश्यक हों ;

- (3) उनके द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकारियों अथवा समितियों से संबंधित अन्य सभी विषयों के प्रावधान करना जो अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेश से प्रावधानित न हों ।
3. प्रबंधन मण्डल, जैसा कि वह उल्लेख करेगा इस प्रकार से परिनियमों के अंतर्गत अथवा ऐसे किसी परिनियम के संशोधन के अंतर्गत बनाए गए किसी विनियम का, संशोधन निर्देशित करेगा ।

परिनियम क्रमांक - 35

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधिनियम तथा परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकरण अपनी शक्तियां किसी अन्य अधिकारी को अथवा प्राधिकारी को अथवा अपने अधीन अथवा उससे संबंधित नियंत्रण के व्यक्ति को इस शर्त पर प्रत्यायोजित कर सकता है, कि इस प्रकार से प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का समस्त उत्तरदायित्व, ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करने वाले पदधारी अथवा प्राधिकरण का होगा ।

परिनियम क्रमांक - 36

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी - सेवा की शर्तें शक्तियां एवं कर्तव्य (अधिनियम की धारा 8 एवं 15 देखें)

1. अधिनियम की धारा 8 में दिए गए अधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :
- (क) अध्यक्ष, सलाहकार परिषद
 - (ख) अतिरिक्त कुलसचिव
 - (ग) नियंत्रक परीक्षा
 - (घ) क्षेत्रीय समन्वयक
 - (ङ.) विश्वविद्यालय के ग्रंथपाल

- (च) शारीरिक प्रशिक्षण के निदेशक
 - (छ) विश्वविद्यालय के अभियंता
 - (ज) नियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय
 - (झ) उप नियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय
 - (ज) उप कुलसचिव
 - (ट) सहायक कुलसचिव
 - (ठ) उप ग्रंथपाल
 - (ड) सहायक ग्रंथपाल
2. उपर कण्डिका (1) में दिए गए पदों के वेतनमान वही होंगे जो, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत, समान पदों के लिए निर्धारित, विद्यमान है। परंतु जहां केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन अथवा अन्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह कण्डिकाओं में दिए गए किसी पद पर नियुक्त है तो उसकी उपलब्धियां तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें, संबंधित शासन / विश्वविद्यालय द्वारा, उसकी सेवाएं विश्वविद्यालय को सौंपने के समय निर्धारित होंगी।
 3. इस परिनियम की कण्डिका (1) में दिए गए पदों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें जैसी प्रबंधन मण्डल द्वारा निर्धारित हैं उनके अनुसार होंगी। निर्धारित अर्हताओं का उचित प्रचार किया जाएगा तथा चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों का चयन, निर्धारित अर्हताओं का उचित ध्यान रखते हुए करेगी।
 4. इस परिनियम की कण्डिका (1) में दिए गए अधिकारियों का चयन, प्रबंधन मण्डल द्वारा किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होंगे - कुलपति अध्यक्ष के रूप में, सदस्यों में से मण्डल द्वारा मनोनीत एक सदस्य, कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो दो न्यासी सदस्य अथवा महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठ के न्यासी मण्डल के दो मनोनीत, प्रबंधन मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो जिसे उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो जिसके लिए चयन समिति गठित है। चयन समिति प्रत्येक पद के लिए गुणानुक्रम से तीन से अधिक नहीं एवं दो से कम नहीं, नाम अनुशंसित करेगी तथा प्रबंधन मण्डल क्रम सूची में से नियुक्ति करेगा।
 5. इस परिनियम में दिए गए अधिकारियों को अवकाश, अवकाश वेतन, भत्ते, चिकित्सा लाभ, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति, उपदान एवं अन्य लाभ की पात्रता होगी।
 6. अध्यक्ष, सलाहकार परिषद को छोड़कर, इस परिनियम में दिए गए प्रत्येक अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे प्रबंधन मण्डल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

परिनियम क्रमांक - 37**अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक एवं पुरस्कार संस्थित करना**

1. प्रबंधन मण्डल, विद्या-परिषद् की अनुशंसा पर तथा विश्वविद्यालय की निधि में से अथवा शासन अथवा किसी अन्य दानकर्ता अथवा अभिकरण, संस्था से प्राप्त निधि से अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, अध्ययन, शोधकार्य अथवा अन्य वांछनीय गुण की मान्यता, उन्नयन अथवा प्रोत्साहन के लिए, अधि सदस्यता, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक अथवा पुरस्कार संस्थित करेगा ।
 2. पुरस्कार, इस उद्देश्य से बनाई गई समिति की अनुशंसा पर दिए जाएंगे ।
 3. समिति की नियुक्ति तथा पुरस्कार देने की रीति, अध्यादेशों द्वारा प्रावधानित की जाएगी ।
-